

अनुबंध I

सब्सिडी का दावा करने के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप
(सिडबी को जमा की जानेवाली हार्ड कॉपी)

उधार देनेवाली संस्था का नाम :

(राशि रूप में)

03 मार्च 2020* को या उसके बाद नए या वृद्धिशील निधिका सहायता				दावा किए गए ब्याज राहत की राशि			
एमएसएमई (विनिर्माण)	एमएसएमई (सेवा क्षेत्र)	ट्रेडिंग गतिविधियां	कुल	एमएसएमई (विनिर्माण)	एमएसएमई (सेवा क्षेत्र)	ट्रेडिंग गतिविधियां	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* इसकी गणना आरंभिक शेष, अर्थात् 02 मार्च 2020 को मूल बकाया में से किसी उपचित ब्याज को घटाकर उसके बीच के अंतर के आधार पर किया जाए।

नोट :

- मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी खातों के लिए डाटा अलग-अलग प्रस्तुत किए जाएँ।
- एनपीए खातों को समाहित नहीं किया जाए क्योंकि किसी भी अवधि में यदि खाता एनपीए रहा हो तो उस अवधि हेतु कोई ब्याज सबवेंशन स्वीकार्य नहीं होगा।

हम प्रमाणित करते हैं कि स्वीकृत नए या वृद्धिशील कार्यशील पूंजी / संवितरित वृद्धिशील / नए ऋण का संवितरण और दावा किए गए ब्याज राहत, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, की गणना सिडबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुरूप सही तरह से की गई है। हम स्वीकार करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान या बाद में कोई भी अशुद्धि पाए जाने पर, हम सिडबी से प्राप्त किसी भी अतिरिक्त राशि को उन्हें वापस लौटा देंगे।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

हम प्रमाणित करते हैं कि हमने प्रत्येक खातों की राशि, वृद्धिशील / नए उधार, प्रभारित ब्याज और दावा की गई राशि को सत्यापित किया है।

स्थान:

तारीख :

(सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)

यह

प्रमाणपत्र सीए द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और आईसीएआई के साथ उनकी सदस्यता संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि यह प्रमाणपत्र उधार देनेवाले संस्थान के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना है; दावे के साथ उधार देनेवाले संस्थानों के उचित व्यवहार संहिता और आंतरिक / बाहरी रेटिंग के लिए निर्धारित किए गए ब्याज दर चार्ट की एक प्रति को संलग्न किया जाना है।